कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर)

// कार्यालय आदेश //

क्रमांक-**19**/दो-11-1/2022 अम्बिकापुर दिनांक 27 जनवरी 2024

इस स्थापना में रिक्त पदों के संबंध में गठित भर्ती एवं चयन समिति द्वारा लिये गए लिखित तथा कौशल परीक्षा उपरांत प्रस्तुत अनुशंसा दिनांक 24.01.2024 के आधार पर, निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को **स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी)** के पद पर वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 अंतर्गत मैट्रिक्ट लेवल-7 (28700-91300) पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

सरल क्रमांक	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता	अभ्यर्थी का वर्ग	चयनित संवर्ग
1	*SH0244*	श्री लिकेश कुमार वर्मा आ0 श्री राम कुमार वर्मा ग्राम-गोढ़ी, पो0 मोहुदी वि0ख0 धरसीवा, रायपुर पिन-493111	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)
2	*SH0277*	श्री सूर्य किशोर गुप्ता आ0 श्री गोपी राम गुप्ता वर्तमान पता वार्ड क्र.-09 पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस के पास, रामानुजगंज स्थायी पता ग्राम-बखरीपारा, पो0 सूर सीतापुर जिला-सरगुजा पिन-497111	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)
3	*SH0023*	हेमलता कंवर आ0 श्री बृजलाल कंवर, एम.आई.टी.आई. कोनी, बिलासपुर क्वार्टर नंबर *T* 45/7	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)
4	*SH0167*	श्रीमती शन्नू कंवर पति श्री छबि लाल कंवर वार्ड नं.12, बस्ती नवापारा, पो0 पठियापाली, तह0 करतला, जिला-कोरबा	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)
5	*SH0018*	कु0 ऋचा बोले आ0 श्री हरिशचन्द्र बोले, दयालबंद, नयापारा गुजराती दुकान के पास, बिलासपुर पिन-495001	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (मुक्त)
6	*SH0063*	कु0 ज्योति सिदार आ0 श्री नरेश कुमार सिदार, ग्राम-लामीदरहा, पो0 बोईरदादर, तह0 व जिला रायगढ़	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)
7	*SH0195*	श्री अनिल आ0 श्री मोहन सिंह, ग्राम-तुमाटेटा, पो0 पड़ियाईन, थाना व तह0-पथरिया, जिला-मुंगेली पिन-495335	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)
8	*SH0269*	श्रीमती दिल बाई पति श्री शांता सिंह, ग्राम बुढ़ियापाली, पो0 सोहागपुर, तह0-करतला, जिला-कोरबा पिन-495671	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)

9	*SH0113*	कु0 रेशमा नेगी आ0 श्री सुकलू राम नेगी, ग्राम व पो0 भानबेड़ा, तह0 भानुप्रतापपुर जिला-कांकेर पिन-494665	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)
10	*SH0374*	श्री मनोज कुमार सलामे आ0 श्री पुनउ राम सलामे, 5/जे रिसाली सेक्टर, भिलाई जिला-दुर्ग पिन-490006	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)

टीप : **चयनित अभ्यर्थी कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) में कार्यभार ग्रहण करेंगे।**

–: नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें :–

(1) उक्त नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी.(सी) क्रमांक-19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

(2) कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदक आवश्यक रूप से शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र एवं अन्य समर्थित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगे, साथ ही अवलोकन हेतु मूल प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे, जिसके सत्यापन के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

(3) आवेदक जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह शासकीय सेवा हेतु शारीरिक रूप से सक्षम (फीट) है, तभी कार्यभार ग्रहण करने दिया जावेगा।

(4) नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ति कर 03 प्रतियों में शपथपत्र सहित पेश करेगा, यदि चरित्र सत्यापन में शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

(5) कर्मचारी के परिवीक्षा अवधि में किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(6) सेवा में प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कार्यालय प्रमुख की अनुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु आवेदन अथवा अध्ययन प्रारंभ की जा सकेगी।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(8) शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।

(9) **आवेदक आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।**

(10) आवेदक की पदस्थापना जिला स्थापना-सरगुजा के क्षेत्राधिकार अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

(11) नियुक्त कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि में कार्य, व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अथवा अन्य कारणों से उनकी सेवाएँ एक माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकेगी।

(12) आरक्षित वर्ग के विरूद्ध चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक-एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 23.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(13) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 03 माह की अवधि के भीतर राज्य शासन की उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

(14) नियुक्ति आदेश के क्रमानुसार ही वरिष्ठता क्रम निर्धारित होगी।

O/C

(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर)

पृष्ठांकन क्रमांक-172/दो-11-1/2022 अम्बिकापुर दिनांक 27 जनवरी 2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर की ओर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-7344 /तीन-18-27/2023 बिलासपुर दिनांक 23.06.2023 के परिपेक्ष्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. चयनित उम्मीदवार.. .... (छ0ग0) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
3. लेखापाल/देयक लिपिक/ऑफिस मोहर्रिर, सरगुजा (अम्बिकापुर) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक प्रोग्रामर, जिला न्यायालय, अम्बिकापुर की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

O/C

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर)